

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०- 42, दिनांक- 12.07.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-3 क एवं 3 ख में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

30.7.19

(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव।

3999

पत्रांक 2ब०/का०प०वेतन-26-01/2017

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 30/07/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त सभी प्रमंडल,/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.19

सरकार के विशेष सचिव।

801

पत्रांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 42

/न०वि०एवंआ०वि०

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-12/02/19

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर परिषद एवं नगर पंचायत में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹186.88320 लाख (एक करोड़ छियासी लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ बीस रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर परिषद एवं नगर पंचायत में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹186.88320 लाख (एक करोड़ छियासी लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ बीस रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि लाख में)		
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
नगर परिषद		
1	बाढ़	2.19520
2	फतुहा	3.00000
3	खगोल	2.19520
4	फुलवारीशरीफ	3.00000
5	मसौढ़ी	2.19520
6	हिलसा	2.19520
7	सासाराम	3.00000
8	बिक्रमगंज	2.19520
9	बक्सर	2.19520
10	डुमरांव	2.19520
11	भभुआ	3.00000
12	औरंगाबाद	3.00000
13	नवादा	2.19520

4

800

14	सीतामढी	2.19520
15	मोतिहारी	3.00000
16	बेतिया	2.19520
17	नरकटियागंज	2.19520
18	हाजीपुर	3.00000
19	सिवान	2.19520
20	गोपालगंज	3.00000
21	मधुबनी	2.19520
22	बेनीपुर	2.19520
23	सहरसा	3.00000
24	मधेपुरा	2.19520
25	जमालपुर	2.19520
26	बीहट	2.19520
27	लखीसराय	3.00000
28	शेखपुरा	3.00000
29	बरबीघा	2.19520
कुल योग (क)		72.51360
नगर पंचायत		
30	खुशरूपुर	2.19520
31	राजगीर	2.19520
32	इसलामपुर	2.19520
33	सिलाव	2.19520
34	पीरो	2.19520
35	बिहियाँ	2.19520
36	जगदीशपुर	3.00000
37	शाहपुर	2.19520
38	कोआथ	2.19520
39	मोहनियाँ	2.19520
40	रफीगंज	2.19520
41	बोधगया	2.19520
42	मखदुमपुर	2.19520
43	वारिसलीगंज	2.19520
44	हिसुआ	2.19520
45	डुमरा	2.19520
46	जनकपुर रोड	2.19520
47	शिवहर	2.19520
48	चकिया	2.19520
49	सुगौली	2.19520
50	अरेशाज	2.19520
51	केसरिया	2.19520
52	मेहसी	2.19520
53	चनपटिया	2.19520
54	रामनगर	2.19520
55	मोतीपुर	2.19520
56	काँटी	2.19520
57	लालगंज	2.19520
58	महाराजगंज	2.19520
59	सोनपुर	2.19520

60	रिविलगंज	2.19520
61	एकमाबाजार	2.19520
62	परसा बाजार	2.19520
63	मीरगंज	2.19520
64	कटैया	2.19520
65	रोसड़ा	2.19520
66	दलसिंहसराय	2.19520
67	सिमरी बख्तियारपुर	2.19520
68	निर्मली	2.19520
69	जोगबनी	2.19520
70	कसबा	2.19520
71	बनमंखी	2.19520
72	ठाकुरगंज	2.19520
73	मनिहारी	2.19520
74	बारसोई	3.00000
75	गोगरी जमालपुर	2.19520
76	तेघरा	2.19520
77	बड़हिया	3.00000
78	झाझा	2.19520
79	नवगछिया	2.19520
80	अमरपुर	2.19520
कुल योग (ख)		114.36960
कुल योग (क)+(ख)		186.88320

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹186.88320 लाख (एक करोड़ छियासी लाख अठासी हजार तीन सौ बीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 80 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि राज्य के नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निम्नवत् होंगे :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 29 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी

विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031920013, विषय शीर्ष- 0013.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 30 से 80 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर पंचायत के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0012-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031930012, विषय शीर्ष- 0012.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

7. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

8. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4

9. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/का०प०वे०- 26-01/2017 के पृष्ठ सं०-124/टि० पर दिनांक-11.7.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-124/टि० पर दिनांक-11.7.19 को प्राप्त है।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत तथा सभी कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 42 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12.07.19

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/नगर कार्यपालक पदाधिकारी सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।